



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1943 (श10)

(सं0 पटना 681) पटना, मंगलवार, 10 अगस्त 2021

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2021

सं० 2/एम-59/2018/993(2)/स्व०—वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सकीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों के नियोजन/नियुक्ति को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2013” एवं “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2019” का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ—

- यह नियमावली “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2021” कही जा सकेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
परन्तु यह नियमावली वैसे मामलों पर भी प्रभावी होगा, जिनकी अध्याचना विभाग द्वारा प्रेषित है एवं आयोग द्वारा मेधा सूची प्रकाशित नहीं की गई है।

2. “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2013 के नियम (2) के उप नियम (घ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(घ) एम0बी0बी0एस0 डिग्री, से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त एम0बी0बी0एस0 डिग्री अथवा गृहमंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट पर इस हेतु तत्समय प्रदर्शित विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से समकक्ष डिग्री में उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्थानों से समकक्ष डिग्री में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से फोरेन मेडिकल ग्रेज्यूएट एक्जामिनेशन (एफ0एम0जी0ई0) स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

3. “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2019 के नियम (2) के उप नियम 2(ड.) को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

2(ड.) स्नातकोत्तर डिग्री से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री यथा एम0डी0/एम0एस0/डी0एन0बी0 की डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त भारत अथवा विदेश से प्राप्त की गयी समकक्ष डिग्री।

4. “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2013 के नियम (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

सामान्य कर्तव्य उप संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा समकक्ष घोषित डिग्री होगी। विदेश से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को गृहमंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट पर इस हेतु तत्समय प्रदर्शित विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से समकक्ष डिग्री में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

परंतु चिकित्सा विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री धारकों एवं किसी सरकारी अस्पताल में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों को कार्यानुभव के लिए अधिमानता दी जा सकेगी।

5. “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2019 के नियम (3) (i) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(i) एम0बी0बी0एस0/समकक्ष डिग्री में प्राप्तांक – कुल 60 अंक

6. “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2019 के नियम (3) की टिप्पणी –(क) के अंत में निम्नांकित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाता है :-

परन्तु, यह कि विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ0एम0जी0ई0) के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

The 6th August 2021

No-02/M-59/2018/993(2)/Health--In the context of the global pandemic COVID-19 and to strengthen the medical management with an objective to give impetus to the contract/appointment of doctors, in exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to amend the “Bihar Health Service (Appointment & Service Condition) Rule 2013” and “Bihar Health Service (Appointment and Service Condition) (Amendment) Rule 2019” as per the following rules:-

1. Title, extent and commencement-

- These rules may be called the Bihar Health Service (Appointment and Service Condition) (Amendment) Rules, 2021.
- It shall extend to the entire State of Bihar.
- This notification will be effective from the date of issue.

But these rules shall also be effective in respect of such matters, which are requisitioned by the Department and the merit list has not been published by the Commission.

2. Sub-rule (d) of rule (2) of the “Bihar Health Services (Appointment and Service Conditions) Rules, 2013” is substituted as under:-

'MBBS' degree means MBBS degree recognized by Medical Council of India or equivalent degree from foreign recognized institutions displayed on the website of the Ministry of Home Affairs, Government of India at that time. It will be mandatory for candidates passed in equivalent degree from recognized institutions to qualify the screening test of Foreign Medical Graduate Examination (F.M.G.E.) from National Board of Examination

3. Rule 2(e) of Rule 2 of “Bihar Health Services (Appointment and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2019” is substituted as under:-

2(e) Master's degree means a postgraduate degree recognized by the Medical Council of India such, MD/MS/DNB degree or equivalent degree from India or abroad recognized by the Medical Council of India/National Medical Commission.

4. Rule (5) of the “Bihar Health Service (Appointment and Service Conditions) Rules, 2013 is substituted as under :-

For appointment in General Duty Sub-cadre, minimum educational qualification shall be MBBS degree from a recognized University or a equivalent degree declared by the Medical Council of India / National Medical Science Commission. Candidates passed from abroad should have equivalent degree from foreign recognized institutions displayed on the website of the Ministry of Home Affairs, Government of India at that time.

Provided that the post-graduate or higher degree holder in any subject of Medical science and the doctors appointed on regular/contract basis in any Government hospital shall be given weightage for work experience

5. Rule (3) (i) of the “Bihar Health Services (Appointment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2019” is substituted as follows:-

- i. Marks obtained in M.B.B.S/Equivalent degree- Total 60 marks

6. Note to Rule (3) of the “Bihar Health Services (Appointment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2019”-(a) at the end, the following proviso is inserted :-

Provided that the marks counted for the percentage of a candidate passed from foreign recognized institutions shall be marks obtained in the Medical Graduate Examination Screening Test (FMGE) by a multiplier of 0.6 will be done by multiplying.

**By order of the Governor of Bihar,
Shailesh Kumar,
Deputy Secretary to Govt.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 681-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>